

उत्तवान : आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम ^{न्यायालय लाल} जितेन्द्र कुमार अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफएसएसए एक्ट 2006 विनियम 2011

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
24/11/25	<p>बकुलाय उम.आज पीठासीन अधिकारी मा. C.M.L. में पधार है। पत्रावली दिनांक 22/12/25 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
22/12/25	<p>बकुलाय उम.आज पीठासीन अधिकारी मा. C.M.L. में पधार है। पत्रावली दिनांक 14/01/26 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
14/01/26	<p>पत्रावली पेश हुई। लक्षण में लायी में चाही गई वांछित रिपोर्ट अप्ताल, पुनः पत्र जारी हो। पत्रावली आथंदा पितांक 30/01/26 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	<p>47 19/01/26</p>
30.01.26	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आज भी न्यायालय में पैरवी हेतु हाजिर नहीं आए है। प्रार्थीपक्ष द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन एवं नवीन पता प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस हेतु प्रार्थी को पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया गया है किन्तु प्रार्थी न तो उपस्थित आए है और न ही सम्मन प्रस्तुत किए है। प्रार्थी को रुक रुक कर तीन बार आवाजें लगाई गई किन्तु प्रार्थीपक्ष हाजिर नहीं आए। अतः पत्रावली प्रार्थीपक्ष के पुनः सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए आदेश 09 नियम 05 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	